कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड बाडमेर

क्रमांक :– 1727 दिनांक 31/12/15

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की जिला आवंटन समिति, जैसलमेर की बैठक दिनांक 08.02.2016 को दोपहर 01.00 बजे कार्यालय परियोजना अभियन्ता (वरि.), राजस्थान आवासन मण्डल, जेठवाई रोड, खण्ड जैसलमेर के कक्ष में निश्चित की गई है। उक्त बैठक में आवासीय योजना जैसलमेर जेठवाई रोड में मध्यम आय वर्ग 'अ'–84 (जी+2) बहुमंजिले फ्लेट हेतु सामान्य पंजीकरण योजना 2012 (प्रथम चरण) में शेष रहे 4 आवेदकों की निर्धारित वर्गवार वरियता के आधार पर फ्लेटों का आवंटन नियमानुसार किया जायेगा। आवासों (फ्लेटों) का आंवटन उन्ही आवेदकों को किया जायेगा जिन्होने आरक्षण पत्र के अनुसार पूर्व ग्रहण राशि की कम से कम एक किश्त दिनांक 04.02.2016 तक जमा कराकर चालान की सत्यापित छाया प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दी है। दिनांक 04.02.2016 के पश्चात जमा कराई गई पूर्व ग्रहण राशि के आवेदकों को लॉटरी में सम्मिलित नही किया जायेगा। आवेदकों को शेष रहे मध्यम आय वर्ग 'अ' – 84 (जी+2) में से 4 फ्लेटों का आवंटन लॉटरी का निर्धारण राजस्थान सरकार के राजकॉम्प के माध्यम से कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

– : आंवटन लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम :–

क्र.सं.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम	दिनांक एवं समय
1	आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 02.02.2016 सॉय 5.00 बजे
2	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथी	दिनांक 04.02.2016 सॉय 6.00 बजे
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 05.02.2016 सॉय 5.00 बजे
4	लॉटरी की तिथी	दिनांक 08.02.2016 दोपहर 1.00 बजे

नोट :–

1. निर्धारित तिथी तक आक्षेप प्रस्तुत नही करने की स्थिति में मण्डल की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
2. उपलब्ध आवासों (फ्लेटों) का आंवटन वरियतानुसार किया जायेगा।
3. जिन्होने देय किश्ते जमा करवाकर चालान की फोटो प्रति कार्यालय में 04.02.16 तक प्रस्तुत कर दी है उन्हे ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
4. आवासों का आवंटन पंजीकरण की वरीयतानुसार किया जायेगा।
5. पूर्व ग्रहण राशि जमा नही कराने से यदि वरीयता क्रम भंग होता है तो इसमें मण्डल का कोई दायित्व नही होगा।
6. सम्पति निस्तारण हेतु मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(सांवलाराम)
आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड बाडमेर